भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 97

02 फरवरी, 2023 को उत्तर के लिए

नगरीय बाढ़ की घटनाएं

97. श्री जगन्नाथ सरकारः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास देश में बार-बार आने वाली नगरीय बाढ़ के कारणों को दर्शाने वाले राज्य-वार कोई आंकड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने नगरीय बाढ़ के कारण नागरिकों को हुई आर्थिक हानि का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने नगरीय बाढ़ को रोकने और भविष्य में होने वाली हानियों को कम करने के लिए कोई उपाय किए हैं अथवा कोई कार्यनीति तैयार की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री कौशल किशोर)

(क) और (ख): शहरी बाढ़ का प्रबंधन राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकाय/शहरी विकास प्राधिकरण के दायरे में आता है जो जल निकासी और सीवरेज प्रणाली को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 2017 में शहरी बाढ़ पर मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) जारी की हैं ताकि सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को तैयारी के स्तर को बढ़ाने और आपातकालीन संचालन/बचाव और बहाली सेवाओं के लिए सहायता मिल सके। एसओपी में अनियोजित विकास, अतिक्रमणों, नदियों के किनारे बस्तियों का बसना, वाटर शेडो में शहरी विकास, शहरी क्षेत्रों के स्थानिक विस्तार के साथ-

साथ तेजी से शहरीकरण और सुदृढ जल निकासी व्यवस्था की अनुपस्थिति शहरी बाढ़ के कुछ कारणो की पहचान की गई हैं।

(ग) से (च) अब तक शहरी बाढ़ के कारण नागरिकों को हुए आर्थिक नुकसान पर कोई अध्ययन नहीं किया गया है। हालांकि, केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, 1953 -2016 के दौरान सभी राज्यों में सार्वजनिक सुविधा केंद्रों, घरों और फसलों को बाढ़ के कारण हुई क्षति से लगभग 3,47,581 करोड़ रूपये का नुकसान हुआ है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकारों को उनकी शहरी बाढ़ प्रबंधन योजना तैयार करने में सहायता करने के लिए सितंबर, 2010 में 'शहरी बाढ़ प्रबंधन' पर दिशानिर्देश जारी किए। दिशानिर्देशों में शहरी बाढ़ के संबंध में आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए की जाने वाली कार्रवाइयों सहित विभिन्न हितधारकों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां भी शामिल हैं। उन्होंने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के साथ शहरी बाढ़ को रोकने के लिए एक रोड मैप तैयार किया और साझा किया है।

एनडीएमए 2021-22 से बाढ़, भूस्खलन, चक्रवात और भूकंप से प्रभावित देश भर के 350 जिलों में आपदा मित्र योजना को लागू कर रहा है, ताकि 1,00,000 स्वयंसेवकों को बुनियादी तकनीकों का उपयोग करके जीवन बचाने और सहायता करने के लिए आपदा प्रतिक्रिया में प्रशिक्षित किया जा सके। एनडीएमए ने शहरी बाढ़ सहित आपदाओं के लिए अनुकूलनीय निर्माण की दिशा में राज्य सरकारों और कमजोर समुदायों के लिए कई प्रकाशनों, दिशानिर्देशों और क्षमता निर्माण कार्यशालाओं का भी नेतृत्व किया।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के प्रयासों को पूरा करने के लिए चुनिंदा 500 शहरों और कस्बों में 'अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन' (अमृत) लागू कर रहा है। मिशन के तहत, वर्षा जल निकासी के लिए 2969 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस आवंटन से, 19 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने 2980 करोड़ रूपये की 809 परियोजनाओं को शुरू किया है। इनमें से 1420 करोड़ रुपये की 689 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। पूर्ण की गई परियोजनाओं से 871 किलोमीटर के वर्षा जल निकासी नेटवर्क को बिछाकर 2,952 जल जमाव बिंदुओं को हटाने में मदद मिली है। मंत्रालय ने शहरी क्षेत्रों में बाढ़ प्रतिक्रिया के लिए वर्षा जल निकासी प्रणालियों के सुस्थिर डिजाइन, योजना और प्रबंधन और आपातकालीन योजना पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए वर्षा जल निकासी प्रणाली, 2019 पर एक मैनुअल प्रकाशित किया है।

*****